

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक: प.6(6)कार्मिक/क-3/82

जयपुर, दिनांक: जुलाई, 19, 2000

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर ।


परिपत्र

लोकायुक्त सचिवालय में लोकसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों पर लोकायुक्त सचिवालय द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहे जाते हैं । इन तथ्यात्मक प्रतिवेदनों को लोकायुक्त सचिवालय को अविलम्ब प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर समस्त प्रशासनिक सचिवों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि जब भी लोकायुक्त सचिवालय द्वारा लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहे जावे तो उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन लोकायुक्त सचिवालय को भिजवाये जावे ।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों के स्तर पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन लोकायुक्त सचिवालय को भिजवाने में अनावश्यक एवं अत्यधिक विलम्ब किया जाता है । भ्रष्टाचार के मामलों में इस प्रकार का अनावश्यक विलम्ब अत्यन्त अनुचित है तथा राज्य-सरकार ने इसको गम्भीरता से लिया है ।


अतः पुनः सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित कर यह अपेक्षा की जाती है कि लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त शिकायतों पर लोकायुक्त सचिवालय द्वारा चाहे गए तथ्यात्मक प्रतिवेदन बिना किसी विलम्ब के लोकायुक्त सचिवालय को भिजवाये जावे ।

समस्त प्रशासनिक सचिवों से यह भी अपेक्षा है कि उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में गठित निगमों, कार्पोरेशनों, मण्डलों आदि को निर्देशित करें कि लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रेषित मामलों में तथ्यात्मक प्रतिवेदन लोकायुक्त सचिवालय को तुरन्त उपलब्ध कराए जावे ।


शासन सचिव 19/7/2000

प्रतिलिपि:

1. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर ।
2. रक्षित पत्रावली


शासन सचिव
19/7/2000

आर.एस.